कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ—5 / 1207 / 2022 / 10—11 / 2669 भोपाल, दिनांक 30 06 2023 प्रति,

महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:— सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/151757/2022)

संदर्भः- भारत सरकार का पत्र क्रमांक / 6-MPB 016/2023 BHO दिनांक 28.06.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1207 / 2022 / 10-11 / **26**70 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30/06/2023

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश। की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आवेदक संस्थान से जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकरी इस कार्यालय को भिजवायें। संलग्न–उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार IGOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar.

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 016/2023-बीएचओ/

दिनांक: 2,८/06/2023

प्रति.

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, (मध्यप्रदेश)।

विषयः सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1207/2022/10-11/1451 दिनांक 11/04/2023.

महोदय.

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य बांछित जानकारियाँ / स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ / दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- 1. Administrative approval/sanction letter of the project shall be submitted.
- 2. Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (with full project KML file) shall be submitted/uploaded.
- 3. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted /uploaded.
- 4. No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.
- 5. It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted/uploaded.
- 6. KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.
- 7. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.
- 8. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.
- 9. As per covering letter of proposal, the CA area proposed over 20.80 ha but CA scheme is only for 17.00 ha. Also as per the DSS analysis, the proposed CA area has 7.00 ha VDF and 7.00 ha MDF. Thuis, revised CA scheme shall be submitted/uploaded.
- 10. As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline is not along road. This shall be clarified.
- 11. The proposed diversion area is part of elephant corridor, so comments of CWLW, M.P. shall be submitted.

Palaw

1/47352/2023

12. As per the KML of all four proposals (FP/MP/WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/ 151757/2022 and FP/MP/WATER/144394/ 2022 and FP/MP/WATER/154848/ 2022), it seems that all proposals are co-related to each other. Why a consolidated proposal is not submitted

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar Date: 28-06-2023 15:36:38

Reason: Approved